(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/होशं./भू.रा./2017/2466 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.05.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 172/अपील/2016-17.

श्रीमती हल्कीबाई पत्नी स्व. श्री सीताराम अहिरवार
निवासी ग्राम समनापुर, तहसील पिपरिया
जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. हरिसिंह आ. मोहनसिंह
   निवासी ग्राम घोघरी, तहसील पिपरिया
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....प्रत्यर्थीगण

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/11/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भू.राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया द्वारा संहिता की धारा 182 के तहत मौजा समनापुर तहसील पिपरिया की भूमि खसरा नंबर 101/1 रकबा 3.16 एकड़ भूमि जो कि अपीलार्थी के ससुर बलीराम को पट्टे पर प्रदान की थी, जिसे बगैर सक्षम अधिकारी

की अनुमति के हरिसिंह आ. मोहनसिंह निवासी ग्राम घोघरी को विक्रय कर दी गई थी, जिसके आधार पर कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा अपीलार्थी के ससुर बलीराम एवं अनावेदक क्र. 2 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र चस्पा कर तामील कराए जाने का उल्लेख करते हुए तथा जवाब का समय प्रदान किये जाने संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा प्र.क्र. 01/अ-39/01-02 में दिनांक 12.08.2002 को इस आशय का आदेश पारित किया कि अपीलार्थी के ससुर बलीराम द्वारा पट्टा की शर्तों का उल्लंघन कर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है, इसलिए कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि के संबंध में जारी पट्टा निरस्त किया गया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। साथ ही विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.05.2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन अमान्य किया जाकर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में उठाये बिंदुओं पर ध्यान दिये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश एवं दस्तावेज का सूक्ष्मता से परिशीलन किये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया है, इसलिए उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने यह प्रकट करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में एक वर्ष तक कोई रूचि नहीं ली गई, इसलिए ग्राह्यता के बिंदु पर प्रकरण खारिज किया जाता है, संबंधी निष्कर्ष देकर भूल की है, इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थी क्र. 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपने मौखिक तर्क में मुख्य रूप से अपीलार्थी के तर्कों का समर्थन किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के ससुर बलीराम को पट्टे पर प्रदान की गई प्रश्नाधीन भूमि बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति चाहे प्रत्यर्थी क्र. 2 को विक्रय कर दी गई,. उक्त भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी क्र. 2 को किया जाना अभिलेख से प्रमाणित है। इसका अपीलार्थी द्वारा किसी भी स्तर पर खण्डन भी नहीं किया गया है। इसके प्रकाश में जो अन्य बिंदु अपीलार्थी ने इस प्रकरण में उठाये हैं, उन पर विचार आवश्यक न होने से कलेक्टर के आदेश दिनांक 12.08.2012 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर